न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–02/2018
जी.सी.एम.एस नं.–2018/00006

1. रूकमादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी चक 1 पी.जी.एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.) ––मृतक––

1/1–ओमप्रकाश पुत्र श्रवणराम
1/2–सुरेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश
1/3–राजबाला पुत्री ओमप्रकाश
1/4–कल्पना पुत्री ओमप्रकाश
अकवाम मेघवाल साकनाएं वार्ड नम्बर 19 अनूगपढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
1/5–विनीता पत्नी गिरीश कुमार पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी आर 2 कुंज बिहार श्रीगंगानगर (राज.)

–– प्रार्थीगण

बनाम्

1. विधा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी चक 1 पी.जी.एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राज.काश्त अधिनियम

वकील उपस्थित–
1. श्री इन्द्राज कस्वां प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्र कुमार चुघ एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से
3. राज पैरोकार अप्रार्थी सं.–2 की ओर से

–::निर्णय::– दिनांकः–२५/१२/२५

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगध्स के धारण में चक 1 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–48 पत्थर नम्बर 267/454 के किला नम्बर 14 ता 25 की कुल 3.0[illegible] कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थीगण के कब्जा [illegible] की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। [illegible]न्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है अपार्थीया सं.–1 के नाम से इसी चक 1 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का मु.न.[illegible] पत्थर नम्बर 267/454 के किला नम्बर 1 ता 13 की कुल [illegible]164 हैक्टर कमाण्ड कृषि [illegible] है। जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए मुरब्बा नं.–48 पत्थर नम्बर 267/454 के किला नम्बर 5 व 6 में पूर्व दिशा की ओर पक्के

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी खाला की जगह छोड़ते हुए 019–0.019 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.038 हैक्टर रास्ता सुलभ है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता सुगम व सुविधाजनक नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त रास्ता मुख्य रास्ता से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी एवज में प्रार्थीगण अपनी उतनी ही भूमि देने को तैयार है। नजरीय नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी कृषि भूमि की काश्त करने, सिंचाई करने एवं आवागमन करने के लिए रास्ता एक अहम बिन्दु है जिसके रास्ता ना होने पर मुझ प्रार्थीगण की भूमि में काश्त करना, सिंचित करना, कृषि यंत्र लाना, लेजाना व उसमें आवागमन करना दुर्लभ व नामुमकिन होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को मुरब्बा नं.–48 पत्थर नम्बर 267/454 के किला नम्बर 5 व 6 में पूर्व दिशा की ओर पक्के सरकारी खाला की जगह छोड़ते हुए 0.019–0.019 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.038 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाना सुलभ व सुविधाजनक होगा। उक्त रास्ता बाबत जो भी शर्त माननीय न्यायालय अधिरोपित करेगी, उसके लिए भी प्रार्थीया तैयार है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार कहा कि अप्रार्थीया संख्या 1 की कृषि भूमि के किला नं.–5 व 6 में पूर्व दिशा की ओर पक्के सरकारी खाला की जगह छोड़ते हुए 0.019–0.019 हैक्टर रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवें ताकि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए पर्याप्त व उचित रास्ता उपलब्ध हो सके, लेकिन अप्रार्थीया संख्या ने अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थीया की कोई बात मानने से इन्कार कर दिया व स्पष्ट कहा कि वह प्रार्थीगण को कोई रास्ता नहीं देगी। बस यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 पी जी एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–48 पत्थर नम्बर 267/454 के किला नम्बर 14 ता 25 की कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 की इसी मुरब्बा नं.–48 पत्थर नम्बर 267/454 के किला नम्बर 5 व 6 में पूर्व दिशा की ओर पक्के सरकारी खाला की जगह छोड़ते हुए उत्तर से दक्षिण 0.019–0.019 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.038 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीया सं.–1 ने उपस्थित होकर जबाव पेश का निवेदन किया कि चक 1 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–48 पत्थर सं.–267/454 का किला नं.–14 ता 25 की कुल 3.036 हैक्टर रकबा होना तथा उक्त रकबा प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे होना स्वीकार है शेष तथ्य गलत बयानी अस्वीकार है। प्रार्थीया को अपने उक्त रकबा में आने जाने के लिए मुरब्बा नं.–49 पत्थर सं.–266/454 के किला नं–1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता है जिसका प्रार्थीया काफी अरसे से उपयोग कर रही है तथा अपने रकबा में आना जाना कर रही है। प्रार्थीया के रकबा से आगे के काश्तकार भी इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। प्रार्थीया अपने रकबा में आने जाने के लिए पूर्व मे मुरब्बा नं.–49 पत्थर सं.–266/454 के किला [illegible] 11,20,21 मे रास्ता है। प्रार्थीया की भूमि के किला नं.–25 मे सरकारी राशि से एक पुलिया [illegible] हुई है। प्रार्थीया की भूमि के आगे के काश्तकार किला नं.–25 मे बनी पुलिया से हो[illegible] अपने रकबा में आना जाना करते है तथा प्रार्थीया भी उक्त रास्ते का [illegible] सं.–1 की कृषि भूमि में पहले से खाला निकल रहा है त[illegible] मे आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है तथा वह रास्ता छोटा व सुगम रास्ता ही है। प्रार्थीया मात्र पारिवारिक रंजिश के चलते अप्रार्थीया सं.–1 को हैरान, परेशान करने की नियत से उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। ऐसी सुरत मे प्रार्थीया अप्रार्थी की भूमि में से कानूनन

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किसी रूप से रास्ता प्राप्त करने की अधिकारीनी नहीं है। प्रार्थीया के रकबा के पूर्व दिशा में स्थित मुरब्बा नं.–49 पत्थर सं.–266/454 के किला नं.–1,10,11,20,21 मे मौका पर रास्ता चालु है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जिसका प्रार्थीया लगातार उपयोग करती आ रही है तथा उक्त रास्ता किसी भी प्रकार से दुलर्भ नही है। प्रार्थीया की भूमि के किला नं.–25 मे राजकीय कोटे से एक पुलिया बनी हुई है। अप्रार्थी की भूमि मे से पहले से सरकारी खाला निकाल रहा है तथा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थी की कृषि भूमि में पूर्व में सरकारी खाला बना होना प्रार्थीया स्वंय स्वीकार कर रही है तथा प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। यदि ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि प्रार्थीया की भूमि कम जावेगी। प्रार्थीया को अप्रार्थीया के खिलाफ कोई बिनाय मुखारस्मत प्रार्थना पत्र प्राप्त नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण निरस्ती योग्य है। चक 1 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–48 पत्थर सं.–267/454 मे प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं.–1 के नाम से कृषि भूमि है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए मुरब्बा नं.–49 पत्थर सं.–266/454 के किला नं.–1,10,11,20,21 मे चल रहे रास्ता का उपयोग कर रही है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के किला नं.–25 में सरकारी पुलिया बनी हुई है जिससे प्रार्थीया अपनी भूमि में प्रवेश करती है तथा प्रार्थीया की भूमि के आगे के काश्तकार भी इसी पुलिया से होते हुऐ अपनी–2 भूमि में प्रवेश करते है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद श्रीमान न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से मौका की रिपोर्ट तलब की गई है तथा हल्का पटवारी जो कि प्रकरण मे मौका की रिपोर्ट देने हेतु सक्षम नही था तथा हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (सरकारी) के आज्ञापक प्रावधानो क अनुसार प्रार्थना पत्र धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वंय या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख के पद से नीचे का नही होगा, निरीक्षण करवाऐगा एवं प्रभावित व्यक्तियो से आपत्तिया आमत्रिंत करेगा। ऐसी स्थिति मे हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विधिक रूप से मान्य नही है। अप्रार्थीया मौका की वास्तविक रिपोर्ट हेतु सर्वे कमिशनर नियुक्त करने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर रही है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वांछित रास्ता के संबंध में तहसीलदार, अनूपगढ से मौका रिपोर्ट तलब की। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 1 पी.जी.एम का मुं.नं.–48 पं.नं.–267/454 किला नं.–14 ता 25 कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि जिसमें से रास्ता चाहा गया है विद्यादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद चक 1 पी.जी.एम. का मु0न0 48 प0न0 267/454 के कि0न0 5/0.019, 6/0.019 कुल 0.038 हैक्टर कमाण्ड मय खाला दर्ज रिकार्ड है। कि0न0 1 ता 5 में मुताबिक रिकार्ड खाला है। प्रार्थीया अपने रकबा में आने जाने हेतु रास्ता चाहती है तथा पूर्व में कोई अन्य रास्ता स्वीकृत नहीं है। पटवारी रिपोर्ट के [illegible] किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं है।

तदुपरांत इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.6.20[illegible] द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 पी.जी.एम. का मु0न0 48 प0न0 267/454 के कि0न0 5 व 6 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया तथा तहसीलदार को स्वीकृत रास्ता के पेटे आई भूमि की डी.एल.सी की दो गुनी दर से राशि अप्रार्थी को भुगतान किए जाने हेतु प्राप्त कर स्वीकृत रास्ते का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश दिया गया। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.06.2018 की पालना में राजकोष में प्रतिकर राशि 62500/–रूपये दिनांक 27.6.2018 को जमा करवा दी गई।

अप्रार्थीया विद्यादेवी ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील सं.–119/2018 अनवानी विद्यादेवी बनाम रूकमादेवी आदि प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं.–119/2018 का निस्तारण दिनांक 10.01.2019 को किया जाकर श्रीमान न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को पुनः दोनो पक्षो को सुनवाई हेतू समुचित असवर देकर विधी अनुसार पुनः प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया।

उक्त प्रकरण के लम्बकाल में पक्षकारों का लोक अदालत की भावना से पंचायत में राजीनामा हो गया है क्योंकि दोनों पक्षकार एक ही मुरब्बा में काश्त करते हैं इसलिए राजीनामा अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करवाना चाहते हैं। राजीनामा निम्न प्रकार से हैः–

अप्रार्थीया अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नं.–48 पत्थर संख्या 267/454 के किला नं.– 5 व 6 में पूर्वी दिशा की ओर पक्के खाला की जगह को छोड़ते हुए 0.018–0.018 हैक्टेयर कृषि भूमि रास्ता के लिए देगी। उपरोक्त 0.018–0.018 हैक्टेयर कृषि भूमि की एवज में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नं.–48 पत्थर संख्या 267/454 के किला नं.–14 व 15 में से किला नम्बर 15 में पूर्वी दिशा की ओर रास्ते की 12 फीट भूमि छोड़कर 0.018–0.018 हैक्टेयर उत्तर की ओर अप्रार्थीया के किला नं.–6 व 7 के साथ चिपती भूमि देगा। उपरोक्त रास्ता के लिए अप्रार्थीया द्वारा दी गई उपरोक्त कृषि भूमि का प्रार्थी ओमप्रकाश अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवायेगा तथा इसी प्रकार इस रास्ता के एवज ली गई कृषि भूमि का अप्रार्थीया विधा देवी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवायेगी। अप्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि के बदले प्रार्थीगण ने उतनी ही कृषि भूमि दे दी है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाये गये 62,500 /– रूपये पर अप्रार्थीया का कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है। अतएव प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 22.06.2018 की पालना में रास्ता स्वीकृत की एवज में प्रार्थीया द्वारा बुक संख्या 345806 रसीद संख्या 03 के जरिये राजकोष में जमा करवाई गई राशि 62,500/– रूपये प्रार्थीगण खजाना राज से वापिस प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए राजकोष में उपरोक्त जमा राशि को प्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 ए को इस राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर रास्ता स्वीकृत्त कर राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार कृषि भूमि अंकन किये जाने एवं राजकोष में जमा राशि प्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में दिया जावे।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि के बदले प्रार्थीगण ने उतनी ही कृषि भूमि दे दी है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को पारित निर्णय माननीय [illegible] अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील संख्या 119/2018 में पारित निर्णय दिनांक [illegible].01.2019 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा राजकोष तहसीलदार [illegible]), अनूपगढ़ में दिनांक 27–06–2018 को जमा करवाये गये 62,500/– [illegible] अप्रार्थीया का कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है तथा उक्त राशि प्रार्थीगण वापिस प्राप्त [illegible] के अधिकारी है। अतएव प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 22.06.2018 की पालना में रास्ता स्वीकृत की एवज में प्रार्थीया द्वारा बुक संख्या 345806 रसीद संख्या 03 के जरिये दिनांक 27–06–2018 को राजकोष में जमा करवाई गई राशि 62,500/– रूपये प्रार्थीगण खजाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राज से वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए को इस राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर प्रार्थीगण के नाम की भूमि चक 1 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –48 पत्थर संख्या 267/454 का किला नं.–14 व 15 में से किला नं.–15 में पूर्वी दिशा की ओर रास्ता की 12 फीट भूमि को छोड़कर 0.018–0.018 हैक्टर भूमि उत्तर की ओर अप्रार्थीया के किला नं.–6 व 7 के साथ चिपती भूमि अप्रार्थीया विद्या देवी के नाम दर्ज करें एवं चक 1 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–48 पत्थर संख्या 267/454 का किला नं.–5 व 6 में पूर्वी दिशा की ओर पक्के खाले की जगह को छोड़ते हुए 0.018–0.018 हैक्टर भूमि रास्ता स्वीकृत किया जाता है इस रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार कृषि भूमि अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ को दिया जाता है। एवं चूंकि रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया को उतनी कृषि भूमि दे दी है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा राशि 62500/– रूपये प्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ को दिया जाता है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज **दिनांक** 25/12/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested